ALL INDIA GOVERNMENT DRIVERS' FEDERATION

(Regd No. S/00927 NE/2012/Dt. 13.06.12) Regd. Add. : B-8, Shastri Gali, Vill. Dayal Pur, N.D.-110094
(Recognised by All States/Union Territories Vide Their Individual Affiliated State Govt.)
Correspondence Add. : DSVCKS Office, K-Block Ground Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

President :
Milan Raj Banshi
(M) 09436001452
Kohima Post Box – 770, Nagaland-797001
Email : milanrajbanshi8@gmail.com

Secretary General :
Narender Singh (Delhi)
(M) 9210274309
Off. Tel. No. : 23378128
E-mail : dsvcks@gmail.com

Ref. No. A.I.G.D.F/2016/37

Date 30-11-2016

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
Date 30/11/16

सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री जी
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय :–समस्त भारत के राजकीय चालकों की समस्या निवारण करने संबंधी निवेदन–पत्र ।

माननीय महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि अखिल भारतीय राजकीय चालक संघ चालकों लम्बित समस्याओ के निवारण हेतू कई वर्षो से केन्द्र सरकार को पत्राचार कर रहा है, परन्तु पूर्व में केन्द्र सरकार की निम्नवर्ग कर्मचारी की उपेक्षा के कारण सुनवाई नही हुई है । चालक संघ को पूर्ण आशा है कि आप हमारी सुनवाई जरूर करेगे क्योकि आप भी निम्नवर्ग से उठ कर प्रधानमंत्री बने हो । राजकीय चालको की निम्नलिखित समस्याऐ है :–

1. **देश में चालकों को "एक काम एक समान वेतनमान दिया जाए:**–उत्तराखण्ड, उतरप्रदेश, पंजाब एवं न्यायालयों एवं निगमों में राजकीय चालकों का वेतनमान अधिक है जबकि भारत सरकार, अन्य राज्यो व केन्द्र शासित प्रदेशो के चालको का वेतनमान कम है । पूर्व में लिपिकीय वर्ग व चालकों का वेतनमान एक समान था परन्तु सरकार ने सौतेला व्यवहार करते हुए लिपिकीय वर्ग का वेतनमान बढा दिया है । अतः राजकीय चालकों के वेतनमान में बढोतरी की जाए ।
2. **एक पद एक समान पेशंन दी जाए'**–सेना की तर्ज पर राजकीय चालकों को एक पद एक समान पेशंन लागू की जाए ।
3. **स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम मे अनुपात हटाया जाये:**–भारत सरकार में चालकों को छठे वेतनमान के अनुसार स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम में अनुपात निम्नलिखित तालिका के अनुसार दी जा रही है :–

क्र. स.	चालक ग्रेड	वेतनमान	ग्रेड–पे	प्रतिशत अनुपात	समयअवधि
1	साधरण ग्रेड	5200–20200	1900	30	सीधी नियुक्ति
2	ग्रेड–2	5200–20200	2400	30	9 वर्ष लगातार सेवा
3	ग्रेड–1	5200–20200	2800	35	6 वर्ष लगातार सेवा
4	स्पेशल ग्रेड	9300–34800	4200	05	3 वर्ष लगातार सेवा

सरकार की नौकरी में स्टाफ कार चालक पद, एक्स केडर पद है, जिनकी वरीष्ठ सूची विभागों के अनुसार ही होती है । जिन विभागों में दस चालक पद है उनमें स्पेशल ग्रेड का पद सृजित नही हो सकता है । इसी कारण उस विभाग का चालक सरकार द्वारा लागू स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम के स्पेशल ग्रेड पद के लाभ से वंचित रह जाता है । जिन विभागों में चालक पदो की संख्या पॉच तक है उन विभागों ने चालकों को पदोन्नति स्कीम से वंचित करके एम.ए.सी.पी स्कीम लागू कर रखी है । सरकार चालकों की भर्ती रिक्त पदो पर भी भर्ती नही कर रही है, जिस कारण चालकों का अनुपात घटता जा रहा है । स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम एवं संशोधित ए.सी.पी. स्कीम के अनुसार तुलनात्मक अध्यन निम्नलिखित तालिका में किया गया है :–

क्र. स.	चालक ग्रेड	पदोन्नति में समयअवधि	एम.ए.सी.पी. स्कीम में समयअवधि	दोनो स्कीमों में समय अवधि अन्तर	पदोन्नति स्कीम एवं एम.ए.सी.पी. स्कीम में ग्रेड–पे का अन्तर	दोनो स्कीमों में ग्रेड–पे में रूपए का अन्तर
1	ग्रेड–2	साधारण ग्रेड में 9 साल लगातार सेवा	दस साल	**एक साल का अन्तर**	पदोन्नति स्कीम में ग्रेड–पे 2400/– ––––––––––––––––––– एम.ए.सी.पी. स्कीम में ग्रेड–पे 2000/–	**400/–रूपये**
2	ग्रेड–1	ग्रेड–2 में छह साल की सेवा या 15 साल की सेवा	बीस साल	**पॉच साल का अन्तर**	पदोन्नति स्कीम में ग्रेड–पे 2800/– ––––––––––––––––––– एम.ए.सी.पी. स्कीम में ग्रेड–पे 2400/–	**400/–रूपये**
3	स्पेशल ग्रेड	ग्रेड–1 में तीन साल की सेवा या 18 साल की सेवा	तीस साल	**12 बॉरह साल का अन्तर**	पदोन्नति स्कीम में ग्रेड–पे 4200/– ––––––––––––––––––– एम.ए.सी.पी. स्कीम में ग्रेड–पे 2800/–	**1400/–रूपये** एवं (पे–बैंड 9300–34800 भी नही मिलेगा)

स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम एवं संशोधित ए.सी.पी स्कीम दोनो के तुलनात्मक अध्यन के आधार पर दस चालकों से कम वालें विभागों के चालक स्पेशल ग्रेड के लाभ से वंचित रह जाते है । इसे न्यायसंगत नही कहा जा सकता है । संघ सरकार से मांग करता है कि चालक पदोन्नति से अनुपात हटाया जाये ।

4. **स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम से ट्रे्ड टेस्ट को हटाया जाये :–**

(क) कर्मश्यिल ड्राइविगं लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण लेने के बाद मोटर लाइसेंस अधिकारी के पास ट्रे्ड टेस्ट में उर्तीण होने के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग कमर्शियल ड्राइविगं लाइसेंस जारी करता है ।

(ख) सरकारी नौकरी में भर्ती होने के समय चालक का दुबारा से ट्रे्ड टेस्ट लिया जाता है ।

(ग) चपरासी से लेकर आई.ए.एस. तक सरकारी नौकरी में किसी भी पद पर पदोन्नति के समय ट्रे्ड टेस्ट नही लिया जाता है अतः चालक के साथ सौतेला व्यवहार क्यो

5. चालकों के भत्ते एवं समयोपरिभत्ते की बढ़ोतरी कराना :– भारत सरकार ने चालकों का समयोपरिभत्ता डीओपीटी आदेश सं. 15012/86 ईएसटीटी.(अलाउन्स) 19 मार्च 1991 को अधिकतम 16.50 रूप्ये प्रतिघंटा किया था उसके बाद भारत सरकार द्वारा तीन वेतन आयोग (वर्ष 1996, 2006, व 2016) की रिर्पोट लागू हो चुकी है, परन्तु समयपरिभत्ता 1991 से लेकर अभी तक नही बढाया गया है । **जबकि भारत सरकार के विवाचन बोर्ड ने रेफरेन्स मुकदमा सं. 2 सन् 2004 दिनांक 06–09–2005 को एक अर्वाड घोषित किया था कि समयपरिभत्ता बढाया जाये** । भारत सरकार ने अवार्ड घोषित होने पर एक सचिव कमेटी गठित की थी सचिव कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था कि **घोषित अवार्ड को नामंजूर किया जाये, जिसकी मंजूरी केबिनेट से लेकर संसद में नामजूंर कराया जाये** । जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार, लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र सं. 21011/01/2013–स्थाप(भत्ता) दिनांक 27–11–2013 को जानकारी प्राप्त हुई थी कि, **"विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गये अवार्ड को ना मानने के लिए प्रस्तावित संकल्प संसद के दोनो सदनो के पटल पर रख दिया गया है व माननीय मंत्री द्वारा संकल्प को प्रस्तत करने का नोटिस दे दिया गया है"** । भारत सरकार से दुबारा जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त पत्र सं. 11011/01/2014–स्थाप(भत्ता) दिनांक 01–10–2014 से जानकारी प्राप्त हुई है कि **"प्रस्तावित संकल्प कारोबार की सूची में नही आया जिसके कारण संकल्प प्रस्तुत नही हो पाया"** । माननीय महोदय स्टाफ कार चालकों का समयोपरिभत्ता वेतनआयोग द्वारा वेतनमान की गई वृद्वि के अनुसार निम्नलिखित वृद्वि दर गणना अनुसार बढाया जाना चाहिए :–

क्र. स.	स्टाफ कार चालक के वेतनमान में बढोतरी की वेतन आयोग ने	स्टाफ कार चालक का वेतनमान	वेतन आयोग द्वारा की गई वेतनमान में बढोतरी के अनुसार गणना	समयोपरि भत्ते में बढोतरी करनी चाहिए
1	चोथे वेतन आयोग ने वेतन मान दिया	950–1500	950 X 3.2 =3040	
2	पॉचवे वेतन आयोग ने वेतन मान दिया	3050–4500	3050 X 3.2 =7015	16.50 X 3.2 =52.80
3	छठे वेतन आयोग ने वेतन मान दिया	5200–20200 ग्रेड–पे 1900	7100 X 2.57 =18247	53 X 2.3 =121.9
4	सातवे वेतन आयोग ने वेतन मान दिया	19900		122 X 2.57 =313.54
अभी वेतन आयोग की वृद्वि दर गणना अनुसार स्टाफ कार चालक को **350/–रूपये प्रतिघंटा** के हिसाब से समयोपरिभत्ता दिया जाना चाहिए ।				

6. **सरकारी गाडी का बीमा किया जाये** :–सरकारी गाडी पर बीमा छूट नियम सन् 1939 पर विचार करते हुए, छूट को खत्म करके सरकारी गाडी का बीमा कराना चाहिए । सरकारी गाडी का बीमा नही होने के कारण जिम्मेवारी चालक के उपर आ जाती है, जैसे कि :–

(क) निजि गाडियो व कमर्शियल गाडियो का बीमा करना जरूरी है । जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर/ दुर्घटना चाहे चालक की गलती भी हो, न्यायालय द्वारा जो भी क्लेम राशि निर्धारित की जाती है, उस राशि का बीमा कम्पनी भुगतान करती है । जिससे गाडी मालिक एवं चालक पर किसी प्रकार का वितिय भार नही पडता है ।

(ख) सरकारी गाडी से दुर्घटना होने पर एवं सरकारी गाडी चोरी होने पर और तीसरी पार्टी के नुकसान होने पर, दुर्घटना में मृत्यू होने पर न्यायालय दुर्घटना क्लेम राशि एक करोड तक भी निर्धारित कर रही है । न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि में से विभाग आधी राशि की जिम्मेवारी चालक पर डाल देता है । ऐसे चालकों से अधिकारी/ उच्च अधिकारी गुलामी कराते है और नियमाविरूद्व काम कराते है ।

(ग) सरकारी गाडी पर बीमा छूट नियम अंग्रेजो ने सन् 1939 में बनाया था, उस समय रोड पर गाडियो की संख्या ना के बराबर थी । सरकार की गाडी से अगर दुर्घटना में कोई हिन्दुतानी मारा भी गया तो किस की हिम्मत थी कि सरकार से क्लेम मांगे । अतः सभी तथ्यो को देखते हुए सरकारी गाडी का बीमा कराया जाना चाहिए ।

7. **सड़क जोखिम भत्ता** :–सडक पर बहुत ज्यादा यातायात होने के कारण, घंटो यातायात जाम होने के कारण, घंटो चालक सीट पर बैठे होने के कारण, प्रदूषण होने के कारण चालको को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में कार्य करना पडता है । जिसकारण चालकों निम्नलिखित बीमारिया हो रही है, डिपरेशन, शुगर, उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल, बवासीर(ज्यादा देर सीट पर बैठने से) हृदय संबंधित रोग भी होने की संम्भावना

बढ़ जाती है । सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मचारियों को मरीज देखभाल भत्ता दे रही है । सभी तथ्यों के आधार पर चालकों को सडक जोखिम भत्ता दिया जाये ।

8. **सरकारी गाडी की सफाई करने का भत्ता चालक को दिया जाये** :–पहले सरकारी गाडी की सफाई जिम्मेवारी पहले कलीनर की होती थी, सरकार ने कलीनर की भर्ती बंद कर दी और सरकारी गाडी की सफाई चालक से करवाने लगी । चालक सरकारी गाडी साफ–सफाई लगातार कर रहा है । सरकार वरीष्ठ अधिकारियों को घर पर सरकारी काम करने का, फाईल उठाने के लिए नौकर का भत्ता दे रही है एवं बिजली और पानी का आधा बिल दे रही है । इसी आधार पर चालक को भी सरकारी गाडी की सफाई करने का भत्ता दिया जाये ।

9. **चालक पद भर्ती नियम में संशोधन करना** :–

(क) भर्ती नियमानुसार चालक की शेक्षिक योग्यता दसवीं पास है, भर्ती होने के बाद चालक पद से ही सेवानिवृत हो जाता है । जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चपरासी को अन्य पदो पर पदोन्नति मिलने का अवसर मिल जाता है, जैसे कि :–निम्न श्रेणी लिपिक, लेब अस्सटेन्ट, मेनुअल अरस्सटेन्ट एवं अन्य पदो पर पदोन्नति मिल जाती है । चालक पद भर्ती नियम में संशोधन करके चालक की शैक्षिक योग्यता के आधार पर अन्य पदो पर पदोन्नति का अवसर दिया जाये ।

(ख) चालक की भर्ती में उम्र 18–27 वर्ष है जिसमें तीन साल का गाडी चलाने का अनुभव भी मांगते है, परन्तु चालक का कर्मशियल लाईसेंस 20 साल की उम्र के बाद बनता है । इसमे सुधार किया जाये ।

10. देश में सभी राज्यो/केन्द्रशासित राज्यों, भारत सरकार के सभी विभागों में चालक के रिक्त पदों पर चालको की भर्ती की जानी चाहिए ।

11. देश में सभी राज्यों/केन्द्रशासित राज्यो, भारत सरकार में सेवा करते समय चालक की मृत्यू के उपरान्त परिवार के एक सदस्य को 3 महीने के अन्दर सरकारी नौकरी दी जाए ।

12. सरकारी वाहन का दुरूपयोग करना बंद किया जाये :–सरकारी वाहन का दुरूप्योग पूरे देश में हो रहा है, दुरूप्योग से सरकार करोडो रूप्ये हर महीने हो रहा है । शिकयत करने पर सरकार में सुनवाई नही है, उल्टा शिकायतकर्ता के खिलाफ ही कार्यवाही की जाती है ।

13. निजि गाडियॉ को टेक्सी के रूप में चलाना बंद किया जाये:–सरकार में आजकल ज्यादातर विभागों में टेक्सी किराए पर ले रखी है । टेक्सी आपरेटर अधिकारियों से सांठगाठ करके टेक्सी की जगह निजि गाडियॉ टेक्सी के रूप में चला रहे है और बिल टेक्सी का दे रहे है । निजि टैक्सी को किराये पर चलाना परिवहन विभाग के नियमानुसार गैरकानूनी है । सरकारी अधिकारी गैरकानूनी टेक्सी को बढावा दे रहे है ।

14. संघ के कार्यालय के लिए कार्यालय या प्लाट आंवटन करा :–अखिल भारतीय राजकीय चालक संघ का कोई भी कार्यलय आंवटित नही है कृप्या संघ कार्यालय के लिए प्लाट या कार्यालय आवंटित किया जाये ताकि समस्त भारत के राजकीय एवं अधीनस्थ निकायों के चालकों की समस्याओं का समाधान निश्चित समय अवधि में पूरा हो सके ।

माननीय महोदय जी आपसे विन्रम निवेदन है कि उपरोक्त मांगो एवं समस्याओं के समाधान हेतू संघ को बैठक हेतू अपने बहुमूल्य समय में से उचित समय देने की कृप्या करे जिससे उपरोक्त मांगों एव समस्याओ का उचित समाधान हो सके ।

अखिल भारतीय राजकीय चालक संघ आपका सदैव आभारी रहेगा ।

धन्यवाद,

भवदीय

नरेन्द्र सिंह

(नरेन्द्र सिहँ)

महासचिव